सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2012-13

ध्येय : सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवदेन

वर्ष 2012–13

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	विभाग की स्थापना	1
3	कार्य संपादन	2
4	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	3
5	राशन कार्ड	4
6	विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएं	6
7	आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य	10
8	चीनी	15
9	केरोसीन	15
10	एलपीजी	17
11	उचित मूल्य दुकानों का आवंटन	18
12	उपभोक्ता सुरक्षा	26
13	उपभोक्ता संरक्षण	27
14	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	31
15	वास्तविक आय-व्यय एवं संशोधित प्रावधान	33
16	परिशिष्ठ 1 से 10	34-48

प्रस्तावना

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बडा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। इस जनसंख्या में 515.40 लाख ग्रामीण और 170.81 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है। राज्य के सभी श्रेणी के परिवारों यथा- बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में आरंभ से ही किया जा रहा है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्गम 1960 के दशक में हुई खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी से कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने पर ध्यान केन्द्रित करके हुआ था। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासी ब्लाकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया था। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारंभ की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 में प्रारंभ की गई थी।

विभाग की स्थापना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी सम्पादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून, 2001 को विभाग का नाम 'खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग' किया गया।

विभाग द्वारा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन करने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन संबंधित कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं। प्रमुख रूप से विभाग के कार्य इस प्रकार से हैं:-

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन।
- केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत खाद्यान्नों की खरीद।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का प्रवर्तन।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन एवं उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन।

कार्य संपादन

उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए खाद्य, नागरिक आपर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं:-

- भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की मांग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण करना।

- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों यथा- गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना,
- आवश्यक वस्तु अधिकानियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना,
- उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य करना,
- उपभोक्ता आंदोलन को गति देने संबंधी कार्य करना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उद्धेश्य हैं:-

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना।
- कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुयें निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित किए जाने के आदेशों के पश्चात राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियत अवधि में उठाव व्यवस्था

के साथ उप आवंटन जारी किया जाता है। जिलों में जिला कलक्टर्स द्वारा तहसील/पंचायत समिति अनुसार किये गये आवंटन के आधार पर संबंधित थोक विक्रेता के माध्यम से आवंटित वस्तुऐं उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती हैं।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 25542 उचित मूल्य की दुकानें स्थापित हैं, जिनमें से 5736 शहरी क्षेत्र में एवं 19806 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की सूचना **परिशिष्ठ- "1"** पर अंकित हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है ताकि खाद्य सामग्री की लाभार्थी तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2012-13 में विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं में अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक आवंटन-उठाव **परिशिष्ठ-"2"** पर अंकित है।

राशन कार्ड

राज्य में पृथक-पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये पृथक-पृथक रंगों के राशन कार्ड दिये जाने की व्यवस्था है।

योजना (परिवार)	राशन कार्ड का रंग	योजना की पात्रता (योग्यता)
1- एपीएल क- डबल गैस सिलेण्डरधारक ख- सिंगल गैस सिलेण्डरधारक	नीला	सामान्य उपभोक्ता
2- बीपीएल	गहरा गुलाबी	ग्राम सभा/नगर निगम/ नगरपालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार।
3- स्टेट बीपीएल	गहरा हरा	ग्राम सभा/नगर निगम/ नगरपालिका द्वारा चयनित स्टेट बीपीएल परिवार।
4- अन्त्योदय अन्न योजना	पीला	ग्राम सभा/नगर निगम/ नगरपालिका द्वारा चयनित अन्त्योदय अन्न परिवार

लाभार्थियों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है:-

- एपीएल : 127.87 लाख
- बीपीएल : 18.27 लाख
- स्टेट बीपीएल : 11.24 लाख
- अन्त्योदय अन्न योजना : 9.32 लाख
- अन्नपूर्णा : 1.05 लाख

लाभार्थियों का श्रेणीवार/जिलेवार विवरण **परिशिष्ठ-"3"** पर अंकित है।

नवीन कम्प्यूटराईज्ड एवं डिजिटाईज्ड राशन कार्ड

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्वता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के कार्य के अन्तर्गत राज्य में कम्प्यूटराईज्ड एवं डिजिटाईज्ड राशनकार्ड का कार्य किया जा रहा है। सम्पूर्ण राज्य में डिजिटाईज्ड एवं कम्प्यूटराईज्ड राशनकार्ड तैयार किये जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 97(6)खा.वि./ सा.वि.प्र./ 2010-पार्ट-2 दिनांक 01.06.2012 को सभी जिला कलक्टर्स/जिला रसद अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है।

राशनकार्ड अभियान-2012 के अन्तर्गत राज्य के लगभग 2.00 करोड उपभोक्ताओं को अलग-अलग श्रेणी यथा बीपीएल, अन्त्योदय अन्न योजना, स्टेट बीपीएल, एपीएल एवं अन्नपूर्णा योजनाओं के अलग-अलग रंगों के डिजिटाईज्ड राशनकार्ड उपलब्ध कराये जायेगें। राशनकार्ड के कम्प्यूटराईज्ड एवं डिजिटराईज्ड कार्य हेतु राज्य स्तर पर ई-निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाकर जिलों के लिए 11 कम्प्यूटर सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म का चयन कर लिया गया है। इन चयनित फर्मों द्वारा जिला कलक्टर के सम्मुख उपस्थित होकर अपना अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है। जिले के लिए नियुक्त प्रगणकों द्वारा आवेदकों को राशनकार्ड आवेदन फार्म वितरण पश्चात भरे हुए प्राप्त आवेदन फार्मों को जांच पश्चात प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जिले के लिए चयनित कम्प्यूटर सेवा प्रदाता एजेन्सीज/फर्म को भरे हुए आवेदन फार्मों का विवरण

स्केनिंग एवं डेटा फिडिंग कार्य किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये है जिसका सभी जिलों में स्केनिंग एवं डेटा फिडिंग का कार्य किया जा रहा है। जिलों में डेटा स्केनिंग एवं फिडिंग का कार्य पूर्ण होने के पश्चात राशनकार्ड तैयार किये जाकर उपभोक्ताओं को यथाशीध्र उपलब्ध कराये जा सकेगें।

विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाऐं

राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 दिनांक 14.11.2011 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से संबंधित राशन कार्ड जारी करने का बिन्दु है। इस अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 97(1) खा.वि./साविप्र/2010-11 दिनांक 11.11.2011 द्वारा सभी जिला कलक्टरों/जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य में राशन कार्ड जारी करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है:-

1	जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में	जिला रसद अधिकारी/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत अधिकारी
2	शेष नगरपालिका क्षेत्र में	नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/ आयुक्त
3	ग्रामीण क्षेत्र के लिए	विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति
4	राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अन्य कोई अधिकारी	

समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत 7 दिवस की अवधि में राशन कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु जिलों में उपलब्ध राशन कार्ड काम में लिये जावे। आवश्यकता होने पर स्वायत्तशाषी संस्थाओं/पंचायत समितियों/ नगरपालिका/नगर परिषद द्वारा राशन कार्ड छपवाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम के क्षेत्राधिकार में दी जाने वाली सेवाएं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किए जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण **परिशिष्ठ "4"** पर संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारियों को खण्ड 8 व 9 के अधीन शक्तियाँ

विभाग द्वारा दिनांक 17.01.2012 को अधिसूचना जारी की जाकर जिला मुख्यालय पर पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी के अलावा अन्य समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8 और 9 के अधीन शक्तियाँ प्रदत्त की गई है, जिसके तहत अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अनियमितता पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निलम्बित एवं निरस्त कर सकेंगे एवं विभागीय प्रकरण दर्ज कर सकेंगे। समस्त उपखण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्र में प्रत्येक माह 15 उचित मूल्य की दुकानों के मासिक निरीक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

विभागीय परिपत्र दिनांक 23.12.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ, केरोसीन एवं चीनी के अतिरिक्त फोर्टीफाईड आंटा, आयोडीनयुक्त नमक, राज चाय आदि अन्य गैर पीडीएस सामग्री पर भी निगरानी रखेंगे।

गैस सिलेण्डर के 15 किमी. से अधिक दूरी पर अतिरिक्त परिवहन व्यय की समाप्ति

विभाग द्वारा आदेश दिनांक 23.12.2011 जारी करते हुए तेल विपणन कम्पनियों के रसाई गैस वितरकों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि गैस वितरक 15 किमी. की परिधि से अधिक दूरी पर पंजीकृत उपभोक्ताओं के पते पर होम डिलीवरी करता है, तो उसे घरेलू गैस सिलेण्डर की निर्धारित दर रूपये 8/- प्रति सिलेण्डर से अतिरिक्त कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा अर्थात् निर्धारित खुदरा मूल्य पर ही वितरण किया जावेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण की जा रही खाद्य एवं अन्य पीडीएस सामग्री की लक्षित समूह तक पहूँच को सुनिश्चित करने तथा विपथन को रोकने के उद्धेश्य से कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। खाद्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त दल ने छत्तीसगढ राज्य का भ्रमण कर वहाँ अपनाई गयी कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया का अध्ययन किया। राजकॉम्प के द्वारा मै. अन्र्स्ट एण्ड यंग कम्पनी को विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु नियुक्त किया गया, जिसके द्वारा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। छत्तीसगढ पैटर्न पर राज्य के जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर जिले में बल्क एसएमएस व्यवस्था को लागू किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समयबद्ध तरीके से कम्प्यूटराईज करने तथा प्रगति की समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च समिति का गठन किया गया है जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) तथा अतिरिक्त खाद्य आयुक्त सदस्य है। इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य हैं। एन.आई.सी. द्वारा परियोजना पर लगभग 16.89 करोड रूपये अनुमानित व्यय बताया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानित राशि रूपये 4.82 करोड एन.आई.सी. को हस्तान्तरित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वित्त विभाग की सहमति के अनुसार राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लि. द्वारा एन.आई.सी. को 2.00 करोड रूपये हस्तान्तरित किये जा चुके है। राज्य में राशनकार्डो के डिजिटाईजेशन का कार्य आरम्भ हो गया है। इस हेतु संबंधित फर्मो के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये जा चुके है। जिलों में राशनकार्डो के आवेदन पत्र प्राप्त कर उनका स्केनिंग का कार्य भी आरम्भ हो चुका है। दिनांक 17-18 दिसम्बर,2012 को एन.आई.सी. द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्य सम्पन्न हो चुका है।

ग्राम पंचायतों को अधिकार

विभागीय परिपत्र दिनांक 11.01.2012 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त उचित मूल्य

दुकानदार अपने संबंधित ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह की 5 तारीख को आयोजित बैठक में गत माह के दौरान उचित मूल्य दुकान में वितरण की गई सभी पीडीएस एवं गैर पीडीएस सामग्री के आवंटन, उठाव, वितरण एवं माह के अन्त में शेष सामग्री की मासिक सूचना सहित आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे एवं ग्राम पंचायत को उपरोक्तानुसार समस्त जानकारी उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था का सत्यापन सरपंच, ग्राम पंचायत से कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

राज्य सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी, जमाखोरी व मिलावट एवं दुरूपयोग को रोके जाने तथा प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिए दिनांक 22 जून 2009 से "शुद्ध के लिए युद्ध अभियान" चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के सार्थक परिणामों को देखते हुए जनहित में इस अभियान को निरन्तर चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान खाद्य, उद्योग, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के समन्वय से संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। वर्तमान में खाद्य पदार्थो में मिलावट संबंधी कार्य हेतु नये नियमों के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

फोर्टीफाईड आटा वितरण

राज्य सरकार ने गेहूँ के स्थान पर आटा वितरण योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भिक तौर पर संभागीय मुख्यालयों से शुरू की, जिसे चरणबद्ध तरीके से सभी जिला मुख्यालयों, उपखण्ड, तहसील, पंचायत समिति, नगरपालिका मुख्यालयों पर आटा का विस्तार किया गया। वर्तमान में राज्य के एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु प्राप्त सम्पूर्ण गेहूँ का फोर्टीफाईड आटा तैयार कर वितरण किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। फोर्टीफाईड आटे में गेहूँ के आटा के अलावा पोषक तत्व यथा- आयरन, फौलिक एसिड तथा विटामिन बी-12 मिलाये जाते हैं।

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को निम्नानुसार खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है-

1. राज्य के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रति माह 25 किग्रा. गेहूँ 2 रूपये प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के 7 जिलों यथा- बाँसवाडा, डूँगरपुर, उदयपुर, सिरोही, करौली, झालावाड तथा प्रतापगढ के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को प्रति माह 10 किग्रा. गेहूँ 4.90 रूपये प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. अन्नपूर्णा परिवारों को प्रतिमाह 10 किग्रा. गेहूँ प्रति परिवार नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किग्रा. गेहूँ 2 रूपये प्रति किग्रा. की दर से प्रति परिवार उपलब्ध कराया जा रहा है।

4. एपीएल परिवारों को "पहले आओ पहले पाओ" सिद्धान्त के आधार पर प्रतिमाह 10 किग्रा. फोर्टीफाईड आटा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

5. बीपीएल परिवारों (अन्त्योदय अन्न योजना चयनित परिवारों सहित) को चीनी 500 ग्राम प्रति ईकाई प्रतिमाह, रूपये 13.50 प्रति किग्रा. की दर से वितरित की जाती है।

6. नीला केरोसीन (डबल गैस सिलेण्डरधारक को छोडकर) सिंगल गैस सिलेण्डरधारक को 2 लीटर एवं शेष सामान्य राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन 3 लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड पर उपलब्धता के आधार पर समान मात्रा में 15.25 रूपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

एपीएल परिवारों को खाद्यान्न आवंटन

सामान्य वर्ग के लोगों को एपीएल श्रेणी का माना गया है। वर्तमान में राज्य के एपीएल परिवारों को इस विभाग द्वारा खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एपीएल परिवारों को 10

किग्रा. आटा "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धान्त के आधार पर प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के एपीएल परिवारों के लिये 64,360 मै. टन गेहूँ प्रतिमाह आवंटित किया जा रहा है तथा इसके अलावा विशेष तदर्थ आवंटन में 32,180 मै. टन प्रतिमाह अतिरिक्त गेहूँ प्राप्त हो रहा है जिसे राज्य के सभी लाभार्थियों को वितरण किया जा रहा है।

बीपीएल परिवारों हेतु खाद्यान्न आवंटन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था में सुधार किये जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्य में दिनांक 10 मई, 2010 से "मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना" का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना में राज्य के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल वर्ग के परिवारों को अन्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के आधार पर 2 रूपये पति किग्रा. की दर पर 25 किग्रा. प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 38.83 लाख बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस मद में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 350 करोड रूपये का खर्चा वहन किया जा रहा है। बजट घोषणा 2011-12 के अनुसार बीपीएल/स्टेट बीपीएल में नये जुडे परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य को बीपीएल परिवारों हेतु भारत सरकार से नियमित योजनान्तर्गत 52,461 मै. टन गेहूँ प्रतिमाह 4.15 रूपये प्रति किग्रा. की निर्गम दर पर प्राप्त हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह अगस्त,2012 से मार्च,2013 तक बीपीएल लाभार्थियों हेतु विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन के रूप में 1,86,420 मै.टन गेहूँ का एक मुश्त आवंटन प्राप्त हुआ, जिसका राज्य के सभी बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों में समानुपातिक रूप से वितरण करवाया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के 7 जिलों यथा- बाँसवाडा, डूँगरपुर, उदयपुर, सिरोही, करौली, झालावाड तथा प्रतापगढ के लिए माह अगस्त, 2011 से बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को उपर्युक्त 25 किग्रा. के अतिरिक्त 10 किग्रा. प्रतिमाह 4.90 रूपये प्रति किग्रा. की दर से गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है।

सहरिया/कथौडी जाति को नि:शुल्क खाद्यान्न

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार राज्य के बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समिति की सहरिया जनजाति के 18,748 परिवारों तथा उदयुपर जिले के कथौडी जनजाति के 1080 परिवारों को 35 किग्रा. गेहूँ नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बारां, अन्ता, मांगरोल, अटरू, छबडा एवं छीपाबडौद के 3544 सहरिया परिवारों को भी 35 किग्रा. गेहूं प्रतिमाह प्रति परिवार नि:शुल्क दिया जा रहा है।

बारां जिले के सहारिया परिवारों को नि:शुल्क दाल, तेल एवं देशी घी

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बांरा जिले के सहरिया परिवारों में कुपोषण को कम करने के लिए जिले के कुल 22373 सहरिया परिवारों को प्रतिमाह दो किलों दाल, दो लीटर सोयातेल एवं एक लीटर देशी घी राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. के माध्यम से नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। उक्त सामग्री उपलब्ध कराये जाने पर होने वाले व्यय हेतु आवश्यक राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के बजट मद से वहन की जायेगी।

अन्त्योदय अन्न योजना

यह योजना मार्च, 2001 में प्रारम्भ की गई है जो राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निर्धनतम वर्ग को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के चयनित अन्त्योदय अन्न परिवारों को प्रति माह 35 किग्रा. गेहूँ 2 रूपये प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना में प्रारम्भ से लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है:-

चयन हेतु अनुमत संख्या		चयनित परिवार (लाख)
सामान्य	3,72,600	3,72,600
प्रथम विस्तार 2003-2004	1,86,500	1,86,500
द्वितीय विस्तार 2004-2005	1,79,000	1,79,000
तृतीय विस्तार 2005-2006	1,94,000	1,94,000
महायोग	9,32,100	9,32,000

अन्त्योदय परिवारों हेतु भारत सरकार से प्रतिमाह 32,624 मै. टन गेहूँ का आवंटन नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है, जिसका राज्य के सभी अन्त्योदय परिवारों में वितरण करवाया जा रहा है।

अन्नपूर्णा योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम (NSAP) के अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के असहाय वृद्ध व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अथवा राज्य वृद्धावस्था पेंशन दोनों में से कोई भी नहीं मिल रही है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को अधिकारिता पत्र (गुलाबी रंग का प्राधिकार पत्र) के आधार पर 10 किग्रा. गेहूँ प्रति माह नि:शुल्क दिये जाने का प्रावधान है।

राशन टिकिट योजना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं यथा बीपीएल, अन्त्योदय अन्न योजना, स्टेट बीपीएल योजना के राशन कार्डधारकों एवं अन्नपूर्णा योजना के अधिकारिता कार्डधारकों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों को लक्षित समूह तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से राशन टिकिट योजना लागू की गई है। बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों को पूर्व अंकित मात्रा के राशन टिकिट वर्ष 2012-13 के लिए सभी ज़िला रसद अधिकारियों को जिला स्तर पर मुद्रित कराये जाकर उपभोक्ताओं को वितरण किये जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके है। जिसके आधार पर उक्त योजनाओं के उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को राशनकार्ड के साथ राशन टिकट उपलब्ध कराने पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।

फूड स्टेम्प योजना

आपदा एवं प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा वर्ष 2004 में "भूंख से मुक्ति" हेतु फूड स्टम्प योजना प्रारम्भ की गई थी जिसका क्रियान्वयन खाद्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस फूड स्टेम्प योजना के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों को 10-10 किलो के 100 फूड स्टेम्प प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जा रहे हैं। खाद्यान्न के अभाव में भूख से पीडित किसी भी व्यक्ति को तात्कालिक

सहायता के रूप में 10 किलो गेहूँ का फूड स्टेम्प दिया जाता है। इस फूड स्टेम्प के आधार पर पीडित व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान से बिना कोई भुगतान किये (नि:शुल्क) 10 किलो गेहूँ वर्ष में एक बार प्राप्त कर सकता है।

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो व अनुचित व्यापारिक प्रवृतियो से किसानों की सुरक्षा की जावे, इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों मार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निम्न जिन्सों की खरीद (प्रोक्योरमेंट) की जाती है-

रबी फसल- गेहूँ व जौ, धान (पैडी)

खरीफ फसल में मोटे अनाज यथा बाजरा, ज्वार व मक्का

(अ) विपणन वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ के लिए निम्न प्रकार समर्थन मूल्य घोषित किये गये हैं:-

(समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल में)

		वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13
रबी	गेहूँ	1100	1120	1285+100 बोनस (राज्य सरकार)
	जौ	750	780	980
खरीफ (मोटे अनाज)	बाजरा व ज्वार	880	980	1175
	मक्का	880	980	1175

भारतीय खाद्य निगम, राजफैड एवं तिलम संघ द्वारा राज्य में रबी वितपन वर्ष 2010-11 में 4,75,894 मै. टन गेहूँ वर्ष 2011-12 में 13,02,367 मै. टन गेहूँ व वर्ष 2012-13 में 19,63,936 मै. टन की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 में बाजरा की 17.95 मै. टन एवं वर्ष 2011-12 में बाजरे की समर्थन मूल्य पर 94.65 मै. टन खरीद की गई।

रबी विपणन वर्ष 2013-14 में राज्य के अलवर जिले में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रायोगिक तौर पर विकेन्द्रीकृत क्रय योजना (डीसीपी) के पेटर्न पर शुरू की जा रही है।

चीनी

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को वर्ष 01.03.2000 की बीपीएल जनसंख्या के आधार पर फरवरी, 2001 से लगभग 7460 मै.टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा था, जिसे बीपीएल राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट 13.50 रूपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा था। अप्रैल, 2012 से राज्य को 7469 मै.टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा है तथा अक्टूबर, 2012 व नवम्बर, 2012 में क्रमश: 10729.9 मै.टन व 10752 मै.टन चीनी का आवंटन प्राप्त हुआ है। इसमें सुरक्षा बलों का कोटा भी शामिल है। इसे सभी जिलों से समानुपातिक रूप से आवंटित कर दिया जाता है। वर्षवार चीनी के आवंटन एवं उठाव की स्थिति **परिशिष्ठ-"5"** पर संलग्न है।

विभागीय परिपत्र संख्या एफ.17(45)खा.वि./विधि/76-11 दिनांक 24.02.2005 द्वारा घर से दूर अध्ययनरत छात्रों को प्रति राशन कार्डवार 500 ग्राम की मात्रा में प्रतिमाह लेवी चीनी उपलब्ध कराई जाने का प्रावधान किया गया है। जिलों में छात्रों के राशन कार्ड बनाये जाने हेतु उनके संस्था/स्कूल/कॉलेज प्रमुखों को प्राधिकृत किया हुआ है तथा समस्त जिला रसद अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

केरोसीन

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली से माह अप्रेल, 2012 से (त्रैमासिक रूप में) प्रति माह 42580 के.एल. केरोसीन का आवंटन प्राप्त हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त नीला केरोसीन केवल खाना पकाने एवं रोशनी के उद्देश्य से वितरण कराया जाता है। प्राप्त आवंटन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलों को उप आवंटन किया जाता है। वर्तमान में रसोई गैस के डी.बी.सी. होल्डर्स राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं

दिया जाता है। रसाई गैस के सिंगल गैस कनेक्शन राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दो लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड तथा शेष सामान्य राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को 3 लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड की मात्रा में वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार के आदेशानुसार 1 मार्च, 2013 से सिंगल गैस कनेक्शन राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया है। केरोसीन के आवंटन एवं उठाव की सूचना **परिशिष्ठ-"6"** पर संलग्न है।

केरोसीन का डायवर्जन रोकने के लिए केरोसीन के डीलरों भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाने के लिए आदेश जारी किये हुये है तथा जिला कलक्टर्स को भी यह निर्देशित किया हुआ है कि रूट चार्ट बनाकर जो भी टैंकर तेल कम्पनी से तेल लेकर रवाना होता है वह इसकी सूचना कलक्टर को दें और कलक्टर रूट चार्ट के अनुसार संबंधित तहसील/ एस.डी.ओ. को निर्देश देवें कि टैंकर आ रहा है जिसका सत्यापन किया जावे और एस.डी.ओ. कम्प्यूटर से ट्रांसमिशन करेंगे कि कौन-सा टैंकर कब और कहाँ के लिए रवाना हो रहा है।

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन का राज्य में समान दर से वितरण कराने हेतु माह जून, 2011 से केरोसीन की समान वितरण दर 15.25 रूपये प्रति लीटर कर दी गयी है।

केरोसीन अनुदान राशि बाबत पायलट प्रोजेक्ट योजना

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित केरोसीन का लाभार्थियों को सीधे ही लाभ दिलाए जाने, कालाबाजारी एवं डाईवर्जन को रोके जाने के उद्देश्य से बजट घोषणा 2011-12 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित केरोसीन के वितरण के स्थान पर अनुदान राशि का उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सीधे ही हस्तानान्तरण करने के बारे में घोषणा की गई है। इस हेतु राज्य के अलवर जिले की कोटकासिम तहसील को पायलट प्रोजेक्ट में चयनित किया गया है तथा कोटकासिक तहसील में माह दिसम्बर, 2011 से पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ करदी गई है।

भारत सरकार के द्वारा इस योजना की अवधि को 31.03.2013 तक बढाया गया एवं दिनांक 18.10.2012 को अतिरिक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार योजना को बढाते हुए दूसरे चरण में

कोटकासिम तहसील से सटी अन्य तहसील किशनगढबास में दिनांक 01 जनवरी, 2013 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त राज्य के तीन जिलों यथा अजमेर, उदयपुर एवं अलवर में उक्त योजना को लागू किये जाने संबंधी तैयारियां किये जाने हेतु विभाग द्वारा जिला कलक्टरों को निर्देशित किया जा चुका है।

एल.पी.जी.

घरेलू गैस रिफिल का राज्य में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। घरेलू गैस का व्यवसायिक ईंधन के रूप में प्रयोग को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा जिला प्रशासन एवं तेल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है। सभी जिलों में मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, वाहनों में दुरूपयोग आदि पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने पर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही कर प्रकरण बनाये गये हैं। घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर 19 किलो में उपलब्ध है। राज्य में कुकिंग गैस (एलपीजी) का वितरण आई.ओ.सी., एच.पी.सी. एवं बी.पी.सी. तेल कम्पनियां कर रही हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा रसोई गैस में 50 रूपये प्रति सिलेण्डर बढोतरी के कारण राज्य के उपभोक्ताओं पर पड रहे अतिरिक्त आर्थिक भार के संबंध में दिनांक 28.06.2011 को मंत्री परिषद की बैठक में मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 84/2011 द्वारा राज्य के उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया जाकर बढी हुई दर रूपये 50 प्रति सिलेण्डर का 50 प्रतिशत भार अर्थात रूपये 25 राज्य सरकार के राजकोष से सभी घरेलू उपभोक्ताओं हेतु अनुदान दिया गया। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.65(3)खा.वि./एल.पी.जी./ 2011 दिनांक 29.06.2011 जारी की गई।

भारत सरकार द्वारा घरेलू श्रेणी के एलपीजी सिलेण्डर (14.2किग्रा) पर प्रति कनेक्शन 6 सिलेण्डर की सीमा तक ही अनुदान देय होने के निर्णय के उपरान्त राज्य के उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष उपरोक्ता 6 सिलेण्डर के

उपभोग के पश्चात 3 अतिरिक्त सिलेण्डर की सीमा तक भारत सरकार द्वारा प्रति सिलेण्डर देय अनुदान के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किये जाने का निर्णय मंत्रिमण्डलीय आज्ञा क्रमांक 181/2012 द्वारा लिया गया, परन्तु भारत सरकार द्वारा पुनः 6 के स्थान पर 9 गैस सिलेण्डर अनुदानित दर पर दिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अधिसूचना दिनांक 29जून,2011 से प्रति सिलेण्डर 25/- रूपये की दर से अनुदान भी यथावत जारी रखा गया।

राज्य स्तरीय समन्वयक एवं तेल विपणन कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को रसोई गैस की समुचित आपूर्ति करे तथा आवश्यकतानुसार नये गैस कनेक्शन जारी करें। साथ ही बैकलॉग खत्म किये जाने एवं सिलेण्डर पर टॉल फ्री नम्बर अंकित करने के निर्देश प्रदान किये गए। प्रदेश में गैस एजेन्सियों द्वारा नये गैस कनेक्शन जारी करने पर निर्धारित प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु जैस- हॉटप्लेट, प्रेशर कूकर, उपभोक्ताओं को चाय, चावल, चीनी, दाल, माचिस और साबुन इत्यादि लेने को मजबूर करने की शिकायत मिलने पर गैस एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा जुर्माना से लेकर लाईसेंस निलम्बित/निरस्त करने तक की कार्यवाही की जायेगी।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा-निर्देश

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवंटन प्रक्रिया के दिशा-निर्देश बनाए जाते हैं। पी.यू.सी.एल. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में न्यायाधिपति वाधवा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों को कम्प्यूटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढाने के उद्धेश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की आवंटन प्रक्रिया के लिए दिनांक 27.04.2012 को दिशा-निर्देश जारी किये गये, जिसके अन्तर्गत

जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में ग्रामीण/ शहरी क्षेत्रों के लिये निम्नानुसार आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया गया:-

आवंटन सलाहकार समिति-

प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा हेतु निम्न सदस्यों की तहसील स्तरीय समिति गठित होगी-

(i) नगरीय क्षेत्रों हेतु-

(क)	जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख)	नगर निगम/परिषद/पालिका के अध्यक्ष/ प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य		सदस्य
(ग)	उप-निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा नामांकित अधिकारी		विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप-पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(च)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
	(i) सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
	(ii) उपभोक्ता	एक	सदस्य
	(iii) महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों हेतु-

(क)	जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच	सदस्य
(ग)	उप-निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा नामांकित अधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप-पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक	विशेष आमंत्रित सदस्य
(च)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के	
	(i) सामाजिक कार्यकर्ता	एक सदस्य
	(ii) उपभोक्ता	एक सदस्य
	(iii) महिला उपभोक्ता	एक सदस्य

उचित मूल्य दुकान के अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता-

(i) "शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए।" यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह शपथ पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

(ii) वर्ष 1988-89 से पूर्व हायर सैकण्डरी परीक्षा (10+1) की स्कीम के अन्तर्गत हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु योग्य अभ्यर्थी माना जावेगा। कम्प्यूटर की योग्यता यथावत रहेगी।

(iii) मृतक डीलरों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु शैक्षणिक योग्य न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है।

प्राथमिकता क्रम-

उक्त समिति से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगी-

(क) प्रथम चरण में वरीयता सूची निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा-

(i) "महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो तथा आवेदक आवंटन की अर्हताऐं पूर्ण करता है, तो ऐसे आवेदक का चयन किया जावेगा।"

(ii) सहकारी समितियाँ (जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है)

(ख) प्रथम चरण में वरीयता में चयनित आवेदक उपलब्ध नहीं है, तो ही शेष निम्न प्राथमिकता क्रम में उल्लेखित आवेदकों का क्रमश: नियमानुसार चयन किया जावेगा-

(i) शिक्षित बेरोजगार

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति

(iii) महिलायें-विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

(iv) भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा।

(v) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में 45 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ सामान्य वर्ग से भरी जावेंगी।

(vi) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 45 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को, 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवंटित की जावेगी।

1 विकलांगों के लिये बिना आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा के जिला रसद अधिकारी स्तर पर जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में रिक्त उचित मूल्य दुकानों हेतु एक विकलांग महिला/पुरूष को प्राथमिकता से चयनित किया जायेगा।

2 विकलांगों के लिए विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या इससे अधिक होना चाहिए।

3 एक से अधिक विकलांग अभ्यर्थी होने पर दिनांक 27.04.2012 के दिशा-निर्देशों में अंकित द्वितीय चरण वरीयता क्रम के अनुसार किया जायेगा।

अन्य निर्देश-

- आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था के चयन के संबंध में बहुमत से की गई अभिशंषा को मानना जिला कलक्टर के लिए अनिवार्य होगा।

- किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अर्हतायें पूर्ण करता है तो उसका चयन किया जावेगा।
- आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा अपनी अभिशंषा पृथक-पृथक स्वयं के स्तर से लिखित में प्रस्तुत करनी होगी। सभी अभिशंषा पत्रों को इकजाई कर निर्णय लिया जायेगा।
- आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति/संस्था पर बराबर मत होने पर कमेटी द्वारा की गई अभिशंषा को जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा एवं ऐसे प्रकरणों को जिला कलक्टर द्वारा लॉटरी निकालकर निर्णित किया जायेगा।
- सहकारी संस्थाओं के संबंध में सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से अभिशंषा प्राप्त की जावे, जिसमें यह वर्णित होना चाहिए कि गत 3 ऑडिट रिपोर्टों में गंभीर अनियमितता किया जाना पाया गया है अथवा नहीं।
- आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए एक नाम रिजर्व सूची के रूप में प्रस्तावित किया जावेगा। यदि कभी भी उचित मूल्य दुकान की डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने से अथवा अन्य किसी कारण से कोई स्थान रिक्त होता है तो रिजर्व सूची से तत्काल नियुक्ति की जावेगी।

आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जावेगी-

(i) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की राय के आधार पर ही अनुशेषा किया जाना अपेक्षित है। अनुपस्थित सदस्यों की राय प्राप्त करना प्रथम दृष्टया विचार योग्य नहीं है।

(ii) आवटन सलाहकार समिति की आयोजित बैठक में निर्णय/अभिशंषा नहीं होने पर ही उन्हीं दुकानों के मामले व उसी विज्ञप्ति के आधार पर पुनः बैठक आयोजित की जा सकती है अन्यथा पुनः बैठक आयोजित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। कतिपय कारणों से बैठक पुनः बुलाई जाना प्रस्तावित हो तो इसके लिए आवंटन सलाहकार समिति के अनुपस्थित सदस्यों को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। उपस्थित सदस्यों को तत्समय ही अगली तिथि नियत कर लिखित में नोट करा लेना चाहिए।

(iii) आवंटन सलाहकार समिति के किसी सदस्य विशेष (समिति के अध्यक्ष को छोडकर) की उपस्थिति अनिवार्य होने का कोई प्रावधान नहीं है।

(iv) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित चार का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

सतर्कता समितियाँ-

वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का निम्नानुसार गठन किया गया है-

(अ) जिला स्तरीय सतर्कता समिति-

जिला स्तरीय सतर्कता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3	जिले के समस्त विधायक	सदस्य
4	जिला प्रमुख	सदस्य
5	जिले के समस्त प्रधान (पंचायत समिति)	सदस्य
6	जिले की समस्त नगरपालिकाओं, परिषदों/निगमों के अध्यक्ष/प्रशासक	सदस्य
7	उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य
8	उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9	जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

इस समिति का क्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(ब) तहसील स्तरीय सतर्कता समिति-

1	प्रधान, पंचायत समिति	अध्यक्ष
2	उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में उप-अध्यक्ष संबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगे एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होंगे)	उपाध्यक्ष
3	स्थानीय निकाय (नगरपालिका) के दो सदस्य जिनका मनोनयन अध्यक्ष, स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा।	सदस्य

4	पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें संबंधित प्रधान द्वारा मनोनीत किया जायेगा।	सदस्य
5	स्थानीय विधायक	सदस्य
6	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य
7	दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
8	सामाजिक /उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
9	संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में क्रमांक 7-8 सदस्यों का मनोनयन क्रमशः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।

(ग) उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति-

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(1) शहरी क्षेत्र के लिए-

1	वार्ड पार्षद		अध्यक्ष
2	सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	का मनोनयन जिला	सदस्य
3	उपभोक्ता (एक)	मुख्यालय पर जिला कलक्टर	सदस्य
4	सेवानिवृत अधिकारी/ कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	द्वारा एवं अन्य स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा।	सदस्य

(2) ग्रामीण क्षेत्र के लिए-

1	सरपंच	अध्यक्ष
2	उपभोक्ता (एक) का मनोनयन संबंधित	सदस्य
3	संबंधित विद्यालय उपखण्ड अधिकारी का प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा किया जावेगा।	सदस्य
4	सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य
5	उपभोक्ता /सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता	सदस्य
6	पाँच (एक)	सदस्य

विभागीय परिपत्र दिनांक 11.01.2012 के द्वारा जिला एवं तहसील स्तर की निगरानी समितियों को प्रभावी बनाते हुए उपभोक्ता सप्ताह के पश्चात प्रत्येक माह में जिला स्तरयी सतर्कता समिति की बैठक प्रत्येक माह उस दिन आयोजित की जावेगी, जिस दिन जिलों में सतर्कता समिति की मासिक बैठक आयोजित की जाती है। तहसील स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक माह के प्रथम सप्ताह में शुक्रवार को आवश्यक रूप से आहूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें गत माह में राशन सामग्री के आवंटन, उठाव, वितरण की समीक्षा की जाती है। ये समितियाँ राशन सामग्री के संबंध में शिकायतों, आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में भी अपनी टिप्पणी एवं सुझावों से राज्य सरकार को अवगत करायेंगी।

जनप्रतिनिधियों को उचित मूल्य दुकान की जाँच करने हेतु अधिकार-

राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2011 जारी करते हुए उचित मूल्य की दुकानों पर निगरानी हेतु जाँच एवं निरीक्षण के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में सभी समस्त सांसद, विधायक, नगर निगम के महापोर, नगर परिषद के सभापति, नगरपालिका के चेयरमेन, जिला प्रमुख एवं पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायत समितियों के सदस्यगण, जिला परिषद सदस्य, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के पार्षद तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच/वार्ड पंचों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए है :-

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकट व्यवस्था लागू की गई है।
- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा निर्देश दिनांक 27.04.2012 को जारी किये हुये है।
- प्रवर्तन अधिकारियों/निरीक्षकों के निरीक्षण व भ्रमण को प्रभावी बनाना।
- नियंत्रित वस्तुओं की उचित मूल्य दुकान पर पहुंच सुनिश्चित कराने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के उदेश्य से उचित मूल्य

दुकान स्तर पर अनलोडिंग के समय सतर्कता समिति के सदस्यों, पटवारी, ग्रामसेवक, सरकारी कर्मचारी अथवा किसी निगम या सहकारी संस्था के कार्मिक द्वारा सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये।

- सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एकरूपता की गई है :-

माह	समय
उपभोक्ता सप्ताह प्रत्येक माह 24 से अन्तिम तारीख तक	प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक (अपरान्ह 01 से 02 तक भोजन अवकाश)
1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक	प्रात: 8 से दोपहर 1 बजे तक
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रात: 9 से दोपहर 2 बजे तक
साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिये जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है। उपभोक्ता सप्ताह की अवधि में कोई अवकाश नहीं रहेगा।	

राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश,1980 के खण्ड 18 के उप-खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए किसी भी व्यवहारी एवं उत्पादक द्वारा किसी भी एक समय कब्जे में रखे जाने वाली सभी प्रकार की दालों (साबुत एवं दली हुई) की अधिकतम स्टॉक लिमिट एवं आवर्तन (टर्न ओवर) अवधि इसके द्वारा नियत की गई है, जिसका विवरण **परिशिष्ठ-"7"** पर अंकित है।

उपभोक्ता सुरक्षा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में जिला मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में 3 तथा जोधपुर जिले में 1 अतिरिक्त पूर्णकालिक मंच का गठन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में सभी 33 जिलों में पूर्णकालीन जिला मंच गठित है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने हेतु

निरन्तर निगरानी की व्यवस्था है। इस कार्यवाही के तहत अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक 195 छापे मार 86.49 लाख रूपये की आवश्यक उपभोक्ता सामग्री जब्त की गई। 21 व्यक्तियों को गिरप्तार किया गया, 136 के अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये तथा 108 व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य में वर्ष 2012-13 के दिसम्बर, 2012 तक की गई कार्यवाही का मानचित्र **परिशिष्ठ-"8"** पर संलग्न है।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिए विधिक सहायता योजना

उपभोक्ता संरक्षण कानून की सार्थकता निर्धन/अक्षम उपभोक्ता को इस कानून का लाभ प्रदान करने में निहित है। वैधानिक रूप से वकील की अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद उपभोक्ता मामलों में वकील उपभोक्ता मंचों में उपस्थित हो रहे है। इन परिस्थितियों में ऐसे निर्धन/अक्षम उपभोक्ता जो कि वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

इस उद्वेश्य की पूर्ति के लिए निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिये विधिक सहायता की एक योजना है। यह योजना राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रारम्भ की जा चुकी है। जिले के एक चिन्हित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को इस योजना के लिये 10 हजार रूपये की राशि उपलब्ध करादी गयी है। इस राशि में से स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन प्रत्येक प्रकरण के लिये अधिकतम रूप से 300/- रूपये की विधिक सहायता संबंधी वकील को पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय के लिए भुगतान करेगा। प्रकरण में निर्णय होने पर यदि निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में होता है तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति एवं वाद खर्च के रूप में जो राशि अप्रार्थी से प्राप्त होगी उस राशि में से स्वैच्छिक संगठन अपने द्वारा व्यय की गई राशि उपभोक्ता से प्राप्त कर रसीद देगें और इस प्रकार स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के पास इस योजना के मद में रिवोल्विंग फण्ड बन सकेगा। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य के समस्त जिलों में यह योजना लागू की जा चुकी है।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सशक्तिकरण की योजना

उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जन जागृति के कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका बढाने हेतु उनका सशक्तिकरण किया जाना आवश्यक है। सभी जिला मुख्यालय में एक स्वैच्छिक संगठन इस कार्य के लिए चिन्हित कर उसके सशक्तिकरण के लिए 50000 रूपये की राशि प्रदान किये जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है। इस योजना के लिए राज्य के सभी जिलों को प्रति जिला 50000 रूपये की राशि विभाग द्वारा भेजी जा चुकी है। इस राशि से संगठन, कम्प्यूटर (प्रिन्टर सहित) खरीद सकेगें तथा शेष राशि आई.ई.सी. मेटेरियल तैयार करने में व्यय कर सकेगें। योजना के लिए स्वैच्छिक संगठन का चयन, उपभोक्ता क्लब योजना के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। स्वैच्छिक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की मोनिटरिंग जिले के जिला रसद अधिकारी द्वारा की जायेगी।

विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों का गठन

युवाओं एवं बच्चों में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागृति उत्पन्न करने एवं शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण का प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से राज्य के 500 राजकीय सीनियर सेकेण्डरी एवं सेकेण्डरी विद्यालयों का उपभोक्ता क्लब स्थापित करने के लिए सत्र 2004-05 में चयन किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित इस योजना के दूसरे चरण में राज्य के 500 राजकीय सीनियर सेकेण्डरी एवं सेकेण्डरी विद्यालयों का चयन कर उपभोक्ता क्लब स्थापित किये गये है। इस प्रकार राज्य के 1000 राजकीय विद्यालयों में उपभोक्ता क्लब स्थापित है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्थापित उपभोक्ता क्लबों हेतु भारत सरकार से 1.50 करोड की राशि प्राप्त हुई थी, जिसे उपभोक्ता क्लबों को आवंटित की जा चुकी है। ऐसे अनेक उदाहरण मिल रहे है, जिनमें क्लब के सदस्य (छात्र) उपभोक्ता अधिकारों के हनन पर अपने माता पिता एवं अभिभावकों को उपभोक्ता अदालत में जाने के लिए प्रेरित कर रहे है तथा उन्हें सजग उपभोक्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष

उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्द्वन तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में भारत सरकार

द्वारा 27.00 लाख रूपये का योगदान दिया गया तथा इनकी ही राशि (27.00लाख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। इस कोष का संचालन विभाग की पंजीकृत संस्था 'उपभोक्ता कल्याण समिति, जयपुर' द्वारा किया जाता है। वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 20/13.03.2009 की पालना में राजस्थान उपभोक्ता कल्याण समिति कोष से 27.50 करोड रूपये राज्य सरकार को स्थानान्तरित (वित्त विभाग को दिनांक 29.04.2009) किया जा चुका है।

उपभोक्ता जागरूकता हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयास

उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि रखते हुए राज्य में उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में आरम्भ से ही महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे है। जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता के साथ ही उपभोक्ता शिक्षा की दिशा में प्रभावी वातावरण निर्माण किये जाने के लिए राज्य में उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की जहां पहल की गई है वहीं राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना भी की गई है। राज्य के प्रमुख मेलों में उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम संबंधी विशेष आयोजनों के साथ ही उपभोक्ता जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयास इस प्रकार से है -

जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र

वर्तमान युग सूचना का युग है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने से ही उपभोक्ता आन्दोलन को सफल कहा जा सकता है। जागरूक उपभोक्ता सजब और सुरक्षित बन सकता है। अत: राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ता सूचना एवं परामर्श केन्द्र स्थापित किए जावेगें। इन केन्द्रों पर उपभोक्ताओं को उनके उपयोग की सूचनाएं एवं उपभोक्ता कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी।

राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 के अनुसरण में अजमेर एवं भरतपुर में भी राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बैंच स्थापित किए जाने के आदेश विभागीय स्तर से दिनांक 18.05.2012 को जारी किये जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य के सभी संभाग जिला मुख्यालय जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जौधपुर एवं उदयपुर पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बैंच का गठन कर दिया गया है।

उपभोक्ता निदेशालय-

राज्य विधान सभा में दिनांक 19.01.2004 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उपभोक्ता निदेशालय का गठन प्रस्तावित किया गया था। बाद में 09.03.2007 को मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में भी इस हेतु घोषणा की गयी। इसकी अनुपालना में निदेशक, उपभोक्ता मामले का प्रभार अतिरिक्त आयुक्त खाद्य को (As ex officio Director) नियुक्त किया गया। निदेशालय के पूर्ण गठन की तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवाही अभी होनी शेष है।

राज्य में अतिरिक्त जिला उपभोक्ता मंचों का गठन

उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले में 2 एवं जोधपुर जिले में 1 अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों का गठन किया गया है, जिसके संदर्भ में विभागीय स्तर से दिनांक 26.11.2011 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उक्त नवगठित जिला उपभोक्ता मंचों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति होने के उपरान्त सुचारू रूप से कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्रचार-प्रसार गतिविधियां

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन

दिनांक 24 दिसम्बर,2012 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राज्य स्तर एवं सभी जिलों में मनाया गया। इसमें जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक एवं महिला संगोष्ठी आयोजित की गयी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय लोकगीत एवं कविता प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, कठपूतली/नुक्कड नाटकों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया।

उपभोक्ता हैल्पलाईन

राज्य में केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार 15 मार्च, 2011 को 'विश्व उपभोक्ता दिवस' के अवसर पर उपभोक्ता हैल्पलाईन का शुभारम्भ किया जा चुका है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता हैल्पलाईन का संचालन राज्य की स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्था कन्ज्यूमर्स एक्शन एण्ड नेटवर्क सोसायटी 'केन्स' जयपुर द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। हैल्पलाईन का टोल फ्री नम्बर 18001806030 है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का गठन एवं उद्देश्य

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बजट वर्ष 2010-11 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा की पालना में "राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति लिमिटेड" का गठन किया गया।

निगम की कार्य प्रगति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया। निगम का तहसील स्तर पर कार्यालय स्थापित न होने के कारण समस्त जिलों में पूर्व में तहसील स्तर पर कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात्- क्रय विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास संघ लि. से ही खाद्यान्न का उठाव व वितरण कार्य करवाया जा रहा है।

फोर्टीफाईड आटा

राज्य सरकार के निर्णयानुसार सम्पूर्ण राज्य में एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को फोर्टीफाईड आटा उपलब्ध कराया जा रहा है। माह अप्रेल,2012 से दिसम्बर,2012 तक 60 लाख बैग्स (प्रति 10 किग्रा.) प्रतिमाह वितरित किये गये है। एपीएल योजनान्तर्गत फोर्टीफाईड आटा संभागीय मुख्यालय जिले एवं 4 जिलों (भीलवाडा, बाडमेर, चूरू व नागौर) के शहरी क्षेत्रों में वितरित किये गये प्रत्येक 10 किग्रा. के बैग की वितरण दर रूपये 81/- एवं शेष 22 जिलों के शहरी क्षेत्रों एवं राज्य के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किये गये प्रत्येक 10 किग्रा. के बैग की वितरण दर रूपये 86/- है।

फोर्टीफाईड आटे की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 50 टन के लॉट की जांच एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्रधारी प्रयोगशालाओं से नियमित तौर पर कराई जा रही है, जिसकी लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, आपूर्ति द्वारा वितरण संबंधी कार्य प्रारम्भ करवाया जाता है। साथ ही फोर्टीफाईड आटे की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला रसद अधिकारी को रेण्डम सैपलिंग कर जांच करवाने हेतु निर्देश दिये गये है।

गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 24.08.2011 को राज्य में गैर पीडीएस वस्तुओं यथा चाय व नमक का शुभारम्भ किया गया था तथा दिनांक 01.07.2012 को माननीय खाद्यमंत्री महोदय द्वारा कपडे धोने के साबुन का शुभारम्भ किया गया है।

1. **नमक** - निगम द्वारा माह मार्च,2012 में आयोडाइज्ड फ्री फ्लो नमक की आपूर्ति हेतु प्राप्त निविदा प्रस्तावों में से सफल निविदादाताओं को कार्यादेश दिये गये तथा माह मार्च,2012 में 2135 मै.टन तथा अप्रेल,2012 से दिसम्बर,2012 तक कुल 7878.95 मै.टन नमक का विपणन निगम द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से किया गया है।
2. **चाय** - निगम द्वारा माह अप्रेल,2012 से अक्टूबर,2012 तक कुल 18.13 लाख किलो चाय का विपणन आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से किया गया है। नवम्बर,2012 में चाय की आपूर्ति हेतु आमंत्रित ई-निविदाओं के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में से सफल 6 निविदादाताओं को चाय की आपूर्ति हेतु पैनल बनाकर कार्यादेश दिये जा चुके है।
3. **कपडे धोने का साबुन** - निगम द्वारा कपडे धोने के साबुन हेतु द्वितीय बार आमंत्रित निविदाओं में से सफल निविदादाता को माह मई,2012 में कार्यादेश दिये गये थे तथा माह जून,2012 में माननीय खाद्यमंत्री महोदय द्वारा शुभारम्भ किया गया था। तत्पश्चात माह जुलाई,2012 से माह दिसम्बर,2012 तक कुल 6,62,500 किलोग्राम साबुन का विपणन निगम द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से करवाया जा चुका है। प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग के निर्देशानुसार राज्य में डिटर्जेन्ट सर्फ व डिटर्जेन्ट साबुन की आपूर्ति हेतु निगम द्वारा आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
4. **दाल** - निगम द्वारा दाल की आपूर्ति हेतु द्वितीय बार आमंत्रित ई-निविदाओं के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं में 3 निविदा प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली गई है तथा प्राप्त न्यूनतम दर पर अन्य सफल निविदादाताओं से न्यूनतम दर पर हरी मूंग की दाल आपूर्ति हेतु सहमति लेने हेतु उनको दिनांक 18.12.2012 को ई-मेल की गई है। सहमति प्राप्त होने के पश्चात दाल की आपूर्ति हेतु पैनल बनाकर कार्यादेश दिया जावेगा।
5. **मसाले** - निगम द्वारा पिसे हुए मसाले यथा- हल्दी, मिर्ची एवं धनियें की आपूर्ति हेतु द्वितीय बार आमंत्रित ई-निविदाओं के माध्यम से आमंत्रित

निविदाओं में 11 निविदा प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से सफल 4 निविदादाताओं को मसालों की आपूर्ति हेतु पैनल बनाकर कार्यादेश दिये जा चुके है। संभवत: माह फरवरी,2013 में उचित मूल्य की दुकानों को मसाले उपलब्ध करवा दिये जायेगें।

6. **खाद्य तेल** - अनुदानित योजना के अन्तर्गत खाद्यतेल वितरण हेतु एस.टी.सी. के माध्यम से एम.ओ.यू. किया जाकर खाद्यतेल क्रय की प्रक्रिया चल रही है।

7. सहरिया परिवारों को कुपोषण से बचाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा माह दिसम्बर, 2012 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम द्वारा 22373 सहरिया परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार 2 किलो हरी मूंग दाल, 1 लीटर देशी घी एवं 2 लीटर सोयाबीन तेल की आपूर्ति निगम द्वारा माह जनवरी,2013 से प्रारम्भ की जा चुकी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत विभाग ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये हुए है :-

क्र. सं.	विभाग	राज्य लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर	उपायुक्त(मुख्यालय)	प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)
2.	जिला स्तर पर	जिला रसद अधिकारी	जिला कलक्टर (रसद)

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनु.(बी) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर विभागीय मैन्यूअल प्रकाशित किया जा चुका है। इस मैन्यूअल की प्रति विभाग मुख्यालय पर सर्वसाधारण के लिए अवलोकनार्थ उपलब्ध है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों का निर्धारित अवधि में अथवा इससे पूर्व निस्तारण किया जाता है।

वास्तविक आय व्यय एवं सशोधित प्रावधान

वर्ष 2010-11, 2011-12 के वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के बजट प्रावधानों का विवरण **परिशिष्ठ- '9'** पर एवं विभाग की प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ठ-'10'** पर अंकित है।

दिसम्बर, 2012 को कार्यरत उचित मूल्य दुकानों की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला	उचित मूल्य दुकानों की श्रेणीनुसार स्थिति						
		शहरी		ग्रामीण		कुल		
		सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग
1	अजमेर	32	465	149	494	181	959	1140
2	अलवर	19	103	83	936	102	1039	1141
3	बांसवाडा	2	48	100	491	102	539	641
4	बारां	1	73	25	455	26	528	554
5	बाडमेर	1	105	203	734	204	839	1043
6	भरतपुर	5	192	62	640	67	832	899
7	भीलवाडा	29	112	306	403	335	515	850
8	बीकानेर	210	24	496	64	706	88	794
9	बूंदी	3	92	41	269	44	361	405
10	चित्तौडगढ	16	92	94	459	110	551	661
11	चूरू	6	220	126	534	132	754	886
12	दौसा	5	64	73	582	78	646	724
13	धौलपुर	23	72	45	307	68	379	447
14	डूँगरपुर	3	43	107	377	110	420	530
15	श्रीगंगानगर	42	186	138	335	180	521	701
16	हनुमानगढ	42	174	28	432	70	606	676
17	जयपुर	45	712	114	936	159	1648	1807
18	जैसलमेर	9	23	21	262	30	285	315
19	जालौर	6	54	132	428	138	482	620
20	झालावाड	5	88	55	453	60	541	601
21	झूँझनूँ	5	170	67	686	72	856	928
22	जोधपुर	203	305	275	654	478	959	1437
23	करौली	4	76	75	434	79	510	589
24	कोटा	29	287	60	270	89	557	646
25	नागौर	6	204	88	927	94	1131	1225
26	पाली	10	150	199	434	209	584	793
27	प्रतापगढ	1	27	52	268	53	295	348
28	राजसमन्द	7	45	81	357	88	402	490
29	सीकर	1	232	84	568	85	800	885
30	सिरोही	5	67	62	287	67	354	421
31	सवाईमाधोपुर	2	95	27	441	29	536	565
32	टोंक	1	109	60	388	61	497	558
33	उदयपुर	26	223	186	787	212	1010	1222
	योग	804	4932	3714	16092	4518	21024	25542

राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का पिछले पांच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

(मात्रा मै.टन में)

1. गेहूँ एपीएल

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2008-09	343114	287664	83.84
2	2009-10	772320	757473	98.08
3	2010-11	772320	762178	98.69
4	2011-12	772320	733834	95.02

अप्रेल 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि में

क्र.सं.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2012	64360	61435	95.46
2	मई, 2012	64360	62171	96.60
3	जून, 2012	64360	62641	97.33
4	जुलाई, 2012	64360	60385	93.82
5	अगस्त, 2012	64360	63822	99.16
6	सितम्बर, 2012	64360	64030	99.49
7	अक्टूबर, 2012	64360	63337	98.41
8	नवम्बर, 2012	64360	64084	99.57
9	दिसम्बर, 2012	64360	63771	99.08
	योग	579240	565676	97.66

(मात्रा मै.टन में)

2. बीपीएल गेहूँ का आवंटन व उठाव की सूचना

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2008-09	595800	589606	98.96
2	2009-10	629532	618503	98.25
3	2010-11	629532	627423	99.66
4	2011-12	629532	606949	96.41

अप्रेल 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि में

क्र.सं.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2012	52461	50771	96.78
2	मई, 2012	52461	50771	96.78
3	जून, 2012	52461	50513	96.29
4	जुलाई, 2012	52461	47335	90.23
5	अगस्त, 2012	52461	52337	99.76
6	सितम्बर, 2012	52461	52461	100.00
7	अक्टूबर, 2012	52461	51573	98.31
8	नवम्बर, 2012	52461	52461	100.00
9	दिसम्बर, 2012	52461	52461	100.00
	योग	472149	460683	97.57

(मात्रा मै.टन में)

3. अन्त्योदय अन्न योजना के गेहूँ का आवंटन व उठाव की सूचना

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2008-09	389340	380565	97.75
2	2009-10	391488	383830	98.04
3	2010-11	391488	383770	98.03
4	2011-12	391488	385041	98.35

अप्रेल 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि में

क्र.सं.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2012	32624	31671	97.08
2	मई, 2012	32624	31407	96.27
3	जून, 2012	32624	30976	94.95
4	जुलाई, 2012	32624	29877	91.58
5	अगस्त, 2012	32624	31970	98.00
6	सितम्बर, 2012	32624	32383	99.26
7	अक्टूबर, 2012	32624	31749	97.32
8	नवम्बर, 2012	32624	31941	97.91
9	दिसम्बर, 2012	32624	31758	97.35
	योग	293616	283732	96.63

(मात्रा मै.टन में)

4. अन्नपूर्णा योजना के गेहूँ का आवंटन व उठाव की सूचना

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2008-09	12635	11536	91.30
2	2009-10	11521	10968	95.20
3	2010-11	12635	11895	94.14
4	2011-12	10793	9475	87.78

अप्रेल 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि में

क्र.सं.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2012	1053	674	64.01
2	मई, 2012	1053	796	75.59
3	जून, 2012	1053	812	77.11
4	जुलाई, 2012	1053	721	68.47
5	अगस्त, 2012	1053	827	78.54
6	सितम्बर, 2012	1053	814	77.30
7	अक्टूबर, 2012	917	42	0
8	नवम्बर, 2012	917	0	0
9	दिसम्बर, 2012	917	0	0
	योग	**9069**	**4686**	**74.17** (सितम्बर,2012 तक)

नोट :- माह अक्टूबर,2012 से मार्च,2013 की अवधि हेतु भारत सरकार से फरवरी,2013 में आवंटन प्राप्त हुआ है।

योजनावार लाभार्थियों/परिवारों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	एपीएल परिवार	बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार	अन्त्योदय परिवार	अन्नपूर्णा लाभार्थी
1	अजमेर	548126	41891	44491	26483	4078
2	अलवर	600204	49858	46271	32424	1872
3	बांसवाडा	149367	90770	67195	61577	3724
4	बारां	198675	22492	30157	42327	5229
5	बाडमेर	449847	99738	40055	32392	3674
6	भरतपुर	444735	53367	27617	20194	1855
7	भीलवाडा	492477	65596	56029	43099	4355
8	बीकानेर	464979	92731	39701	23625	5336
9	बूंदी	204865	29360	30076	18851	786
10	चित्तौडगढ	312961	29499	54555	50901	1402
11	चूरू	359261	69460	32274	30000	4126
12	दौसा	310835	49446	16182	16872	837
13	धौलपुर	229709	24678	14537	13740	2025
14	डूँगरपुर	103118	98122	49602	52426	5014
15	श्रीगंगानगर	482213	73783	19257	17566	554
16	हनुमानगढ	412538	48816	22041	18031	3324
17	जयपुर	1387122	79607	42800	27861	1720
18	जैसलमेर	126597	20108	11843	8075	2893
19	जालौर	321700	57539	32553	32936	3200
20	झालावाड	287834	37710	32688	23062	2342
21	झूँझनूँ	442864	16115	18101	12314	2722
22	जोधपुर	693526	84089	18074	15695	5067
23	करौली	224694	49139	28478	26051	2833
24	कोटा	407888	56500	24134	18299	2920
25	नागौर	693410	51249	37369	24398	10456
26	पाली	425965	50747	32081	26746	2755
27	प्रतापगढ	108706	43148	29309	25774	885
28	राजसमन्द	211094	46885	23250	28360	2006
29	सीकर	448945	32918	19431	13639	2851
30	सिरोही	254747	23645	22444	15128	1319
31	सवाईमाधोपुर	245153	32499	33941	21975	6600
32	टोंक	251478	23623	34220	26324	2497
33	उदयपुर	491598	182024	93489	84956	4036
	योग	12787231	1827152	1124245	932101	105293

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी का अधिनियम के क्षेत्राधिकार में ली जाने वाली सेवाएं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किये जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

विभाग का नाम :- खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।

क्र.सं.	विभाग की गतिविधियां/सेवाएं जो प्रस्तावित अधिनियम की परिधि में ली जानी है।	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
	नये राशनकार्ड बनाने हेतु 1.जिला मुख्यालय का नगरपालिका क्षेत्र 2.शेष नगरपालिका क्षेत्र में 3.ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4.राज्य सरकार द्वारा अधिकृत	आवेदन प्राप्ति से 7 दिवस	जिला रसद अधिकारी नगरपालिका बोर्ड का अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति अधिकारी राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी	--	जिला कलक्टर	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग (मुख्यालय)	

(मात्रा मै.टन में)

5. लेवी चीनी के आवंटन व उठाव की सूचना

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2008-09	99678	23457	23.53
2	2009-10	94583	36263	38.34
3	2010-11	94629	76112	80.43
4	2011-12	94692.7	35423.92	37.41

अप्रेल 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि में (अनन्तिम सूचना)

क्र.सं.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2012	7469.3	6701	89.71
2	मई, 2012	7469.3	6578.3	88.07
3	जून, 2012	7472.2	6838.5	91.52
4	जुलाई, 2012	7472.2	6779.1	90.72
5	अगस्त, 2012	7472.2	5815.7	77.83
6	सितम्बर, 2012	7472.2	4122.2	55.17
7	अक्टूबर, 2012	10729.9	6557.3	61.11
8	नवम्बर, 2012	10752	5214.8	48.50
9	दिसम्बर, 2012	8064	2395.3	29.70
	योग	74373.3	51002.2	68.58

(मात्रा मै.टन में)

6. केरोसीन के आवंटन व उठाव की सूचना

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2008-09	512587	511610	99.81
2	2009-10	511983	512420	100.09
3	2010-11	511632	509276	99.54
4	2011-12	511332	507648	99.28

अप्रेल 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि में

क्र.सं.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2012	42580	42254	99.23
2	मई, 2012	42580	41151	96.64
3	जून, 2012	42580	40782	95.78
4	जुलाई, 2012	42580	42141	98.97
5	अगस्त, 2012	42580	40870	95.98
6	सितम्बर, 2012	42580	40424	94.94
7	अक्टूबर, 2012	42472	39060	91.97
8	नवम्बर, 2012	42472	39254	92.42
9	दिसम्बर, 2012	42472	39746	93.58
	योग	382896	365682	95.50

राज्य सरकार द्वारा दालों के लिए लाईसेन्स व्यवस्था लागू कर स्टॉक सीमा तथा टर्न ओवर अवधि का प्रावधान लागू किया हुआ है। यह प्रावधान तम्बर,2013 तक की अवधि के लिए लागू किये गये है। स्टॉक सीमा एवं टर्न ओवर अवधि के प्राधान निम्नानुसार है :-

नाम वस्तु	थोक डीलर	खुदरा डीलर	30 सितम्बर, 2011 तक कार्यरत दाल उत्पादक (मिलर्स)		01अक्टूबर,2011 के बाद कार्य प्रारम्भ करने वाला दाल उत्पादक (मिलर्स)	
1. चना दाल साबुत एवं दली हुई (केवल चना एवं चना दाल के लिए)	2500 क्विंटल	25 क्विंटल	साबुत दलहन	दली हुई दालें	साबुत दलहन	दली हुई दालें
			गत तीन वर्षो में काम में लिये गये दलहनों के किसी एक वर्ष के (अधिकतम) स्टॉक का औसत 60 दिवस के बराबर	गत तीन वर्षो में उत्पादन की गई दालों के किसी एक वर्ष के (अधिकतम) स्टॉक का औसत 30 दिवस के बराबर	मिल की एक वर्ष की स्थापित उत्पादन क्षमता हेतु वांछित दलहनों का औसत 60 दिवस के बराबर	मिल की एक वर्ष की स्थापित उत्पादन क्षमता का औसत 30 दिवस के बराबर
2. दालें साबुत एवं दली हुई (चना दाल के अलावा सभी प्रकार की सम्मिलित)	3000 क्विंटल	30 क्विंटल				
आर्वतन (टर्न ओवर) अवधि	75 दिवस	45 दिवस	45 दिवस			

परिशिष्ठ-8

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की सूचना

क्र.सं.	वर्ष	कुल छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दण्डित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
1	2008-09	798	22	213	8	101.77
2	2009-10	676	69	102	3	303.91
3	2010-11	447	34	168	76	193.33
4	2011-12	426	57	152	100	192.46

अप्रेल, 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि में (अनंतिम सूचना)

क्र.सं.	माह	माह में छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दण्डित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
1	अप्रेल, 2012	27	8	9	29	5.73
2	मई, 2012	21	1	19	0	9.39
3	जून, 2012	22	2	15	0	6.98
4	जुलाई, 2012	8	0	10	21	5.86
5	अगस्त, 2012	6	0	5	0	29.61
6	सितम्बर, 2012	11	0	17	19	2.97
7	अक्टूबर, 2012	18	1	16	12	2.74
8	नवम्बर, 2012	30	0	25	18	2.36
9	दिसम्बर, 2012	52	9	20	9	20.85
	योग	195	21	136	108	86.49

वर्ष 2010-11 व 2011-12 के वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के बजट प्रावधान का विवरण-

(राशि लाखों में)

व्यय बजट शीर्ष/ उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2010-11	वास्तविक व्यय 2011-12	मूल प्रावधान 2011-12	संशोधित प्रावधान 2011-12	बजट प्रावधान 2012-13
(मांग संख्या 32) 3456 - नागरिक आपूर्ति 001 - निदेशन और प्रशासन (01) - खाद्य आयुक्त के माध्यम से					
[01] - मुख्यालय कर्मचारी वर्ग	289.12	333.62	381.99	361.57	374.53
[02] - जिला कर्मचारी वर्ग	1503.74	1697.47	1924.49	1820.39	1902.17
- " - प्रभृत व्यय (आ.भि.)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
[03] - उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	1113.33	1305.02	1124.42	1322.93	1474.21
[04] - उपभोक्ता मामले निदेशालय	5.92	7.47	8.98	8.48	9.48
कुल योग (दत्तमत)	2912.11	3343.58	3439.89	3513.38	3760.40
कुल योग (प्रभृत)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
<u>आयोजना भिन्न मद की योजनाएं -</u> 3456 - नागरिक आपूर्ति, 102 - सिविल पूर्ति योजना (02) - खाद्यान्न वितरण					
[01] अन्त्योदय अन्न योजना, 91 - सहायय् (आ.भि.)	2359.73	2466.32	2425.00	2475.00	2425.00
[02] मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत बी.पी.एल. अन्न योजना, 91 - सहायय् (आ.भि.)	22595.94	15387.79	16250.00	15350.00	15500.00
[03] मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत स्टेट बीपीएल अन्न योजना, 91-सहायय् (आ.भि.)		7394.01	8100.00	7430.00	8400.00
[04] फूड स्टेम्प योजना, 91- सहायय्	0.00	1.27	50.00	31.00	31.00
[05] सहरिया-कथौडी अन्न योजना,	0.00	0.00	0.00	0.01	260.00
[06] एपीएल अन्न योजना, 91-	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
3456-00-102-03-00-28- चल प्रयोगशाला की स्थापना (आ.भि.)	0.00	27.98	0.00	45.00	94.00
3456-102-01-02-53 केरोसीन समानीकरण राशि का भुगतान (आ.भि.)	0.00	340.40	200.01	402.01	388.01
कुल योग (आ.भि.)	24955.67	25617.77	27025.01	25733.03	27098.02

<u>आयोजना मद की योजनाए -</u>					
अन्नपूर्णा योजना (आयोजना)					
3456-00-102-(01)-[04]-12	577.26	323.98	479.47	404.47	479.47
3456-00-102-(01)-[04]-62		15.00	15.00	15.00	15.00
3456-00-789-(01)-[01]-12		74.21	113.95	113.95	113.95
3456-00-789-(01)-[01]-62		4.00	4.00	4.00	4.00
3456-00-796-(01)-[01]-12		59.89	84.08	84.08	84.08
3456-00-796-(01)-[01]-62		3.50	3.50	3.50	3.50
योग (अन्नपूर्णा)	577.26	480.58	700.00	625.00	700.00
राशन टिकिट योजना (आयोजना)					
3456-00-102-(01)-[07]-39	0.63	45.69	24.03	45.69	35.14
3456-00-789-(01)-[02]-39		11.15	8.45	11.15	8.58
3456-00-796-(01)-[02]-39		8.16	6.26	8.16	6.28
योग (राशन टिकिट योजना)	0.63	65.00	38.74	65.00	50.00

वर्ष 2010-11 व 2011-12 के वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के बजट प्रावधान का विवरण-

(राशि लाखों में)

व्यय बजट शीर्ष/ उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2010-11	वास्तविक व्यय 2011-12	मूल प्रावधान 2011-12	संशोधित प्रावधान 2011-12	बजट प्रावधान 2012-13
1	2	3	4	5	6
कुष्ठ रोग से मुक्त अन्न योजना-					
3456-00-102-(02)-[07]-91	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
3456-00-789-(01)-[05]-91	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
3456-00-796-(01)-[05]-91	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
योग (कुष्ठ रोग से मुक्त अन्न योजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
5475-00-102-(09)-[00]-17 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण - वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	0.00	27.89	10.43	30.07	0.01
3456-00-102-(04)-[00]-91 घरेलू गैस सिलेण्डर पर अनुदान (आयोजना)					
3456-00-102-04-00-91	0.00	8581.68	0.00	9000.00	8785.00
3456-00-789-01-04-91	0.00	0.00	0.00	0.00	2145.00
3456-00-796-01-04-91	0.00	0.00	0.00	0.00	1570.00
योग (धरेलू गैस पर सब्सिडी)	**0.00**	**8581.68**	**0.00**	**9000.00**	**12500.00**
3456-190-(01)-[00]-12 गेहूं खरीद के समर्थन मूल्य पर बोनस (आयोजना)	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
3456-00-190-(01)-[00]-12 राज.राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
5475-00-190-(03)-[00]-73 राज.राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन (आयोजना)	5000.00	0.00	0.00	0.01	0.01

7475-00-190-(01)-[00]-12 राज.राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को उधार (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
कुल योग (आयोजना व्यय)	**5577.89**	**9855.15**	**749.17**	**10420.10**	**13850.04**
केन्द्र प्रवर्तित योजनाए-					
3456-00-001-(01)-[03]-28 उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (केन्द्र प्रवर्तित योजना)					
(1) उपभेक्ता मंचों के सुदृढीकरण (के.प्र.यो.)	13.15	2.53	0.01	2.66	0.01
3456-00-001-(01)-[06]-11 उपभोक्ता जागरूकता हैतु सहायता (के.प्र.यो.)	3.66	29.38	0.00	41.33	0.01
3456-00-001-01-05(05 व 62) उपभोक्ता हैल्पलाईन की स्थापना (के.प्र.यो.)	0.00	12.17	27.60	27.60	22.73
5475-00-102-(09)-[00]-72 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय (के.प्र.यो.)	70.60	36.68	91.66	44.73	57.85
कुल योग (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	87.41	80.76	119.27	116.32	80.60

वर्ष 2010-11 व 2011-12 के वास्तविक आय तथा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के बजट प्रावधान का विवरण-

राजस्व बजट शीर्ष/ उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2010-11	वास्तविक आय 2011-12	मूल प्रावधान 2011-12	संशोधित प्रावधान 2011-12	मूल प्रावधान 2012-13
1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ					
01- नगरीय रसद विभागों से प्राप्तियां	0.00	4.44	0.00	40.00	40.00
02- विभिन्न लाईर्सेन्सों से प्राप्तियां	0.00	12.95	0.00	0.44	0.90
03- सीमेन्ट आपूर्ति एवं अन्य से प्राप्तियां	0.00	0.22	0.00	4.00	4.00
04- अन्य विविध-01विविध	35.17	507.07	0.00	732.49	1401.81
04- अन्य विविध-02-खाद्य विभाग के माध्यम से	405.20	1571.85	150.25	1050.00	200.00
05- परिवहन समानीकरण से प्राप्तियाँ	632.47	186.35	651.85	500.00	500.00
06- अन्तर राशि से प्राप्तियाँ - 01- खाद्यान्न	57.34	41.38	9.60	40.00	50.00
06- अन्तर राशि से प्राप्तियाँ - 02- केरोसीन	67.38	34.68	50.50	700.00	900.00
07- उपभोक्ता संरक्षण के तहत जिला मंचों में परिवाद दायर करने हेतु फीस	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01
कुल आय	1197.56	2358.97	862.21	3067.24	3096.72

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रशासनिक संरचना

राज्य स्तर

मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त

(1)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले

(1)

उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव / उपायुक्त (खाद्य) (2)	उपायुक्त खाद्य/ सहायक आयुक्त (1)	सहायक निदेशक (सांख्यिकी) (1)	उप विधि परामर्शी (1)	वित्तीय सलाहकार (1)

सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी (1)	जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) (1)	सहायक लेखाधिकारी (2)
कार्यालय अधीक्षक (1)	प्रवर्तन अधिकारी (2)	प्रवर्तन निरीक्षक (2)

संभाग स्तर

संभागीय आयुक्त (मुख्यालय)

(7)

प्रवर्तन अधिकारी (संभागीय आयुक्त कार्यालय)

(7)

जिला स्तर

जिला कलक्टर्स रसद (33)

जिला रसद अधिकारी (34)

अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी (2)

प्रवर्तन अधिकारी (103)	प्रवर्तन निरीक्षक (253)

- बीपीएल, अन्त्योदय एवं असहाय परिवारों को खाद्य सुरक्षा
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर